संख्या–वे0आ0–2–996 / दस–98–16 जी0 / 94–टी0सी0

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव, वित्त बजट, संसाधन एवं
वेतन आयेग, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 4 अगस्त, 1998

विषय – समता समिति (1989) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में लेखा संवर्ग के वेतनमानों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारयिों हेतु समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया था कि प्रदश के लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार (वेतनमान रू0 1200–2040) तथा लेखाकार (वेतनमान 1400–2600) की सम्मिलित संख्या के 20 प्रतिशत पद सहायक लेखाकार पदनाम से रू0 1200–2040 के वेतनमान में तथा 80 प्रतिशत पद लेखाकार पदनाम से रू0 1400–2600 के वेतनमान में रखे जाये। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन के समय यह समस्या सामने आयी कि सहायक लेखाकार के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या वे0आ0–1–1802 / दस 34(एम)–83 दिनांक 11 अगस्त 1983 द्वारा दस वर्ष निर्धारित किया गया है। इस प्रतिबन्ध का समावेश करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा विभाग से सम्बन्धित लेखा कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है। इस प्रकार लेखाकार के पद पर वही सहायक लेखाकार प्रोन्नति हो सकते हैं जिन्होंने अपने पद पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

इस प्रतिबन्ध के कारण मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आधार पर लेखा संवर्ग में लेखाकार के 80 प्रतिशत पद वेतनमान रू0 1400–2600 में नहीं भरे जा पा रहे हैं।

2– उपरोक्त समस्या के निदान हेतु केन्द्र सरकार में लागू प्रोन्नति की व्यवस्था को देखते हुये सम्यक विचारोंपरान्त राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 11 अगस्त 1983 में सहायक लेखाकार के पद से लेखाकार के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित कम से कम दस वर्ष के अनुभव के स्थान पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– समस्त राजकीय विभाग उपरोक्त प्रस्तर–2 में किये गये संशोधन के अधार पर विभाग की सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथा शीघ्र आवश्यक संशोधन कार्मिक विभाग के परामर्श से करेगी।

4– यह व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,
ह0–
आलोकरंजन,
सचिव, वित्त।